127.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक:.................... /2018 पुर्नावलोकन - 5500/2018/शिवपुरी/भू.रा.

श्री उदित सक्सेना द्वारा आज 17.9.018 को मेरे समक्ष प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 17-9-18

Udit (Udit Saxena) Adv.

1. रमेशचन्द्र पुत्र देवी सिंह रघुवंशी
2. श्रीमती चंपा पत्नि रमेश रघुवंशी

हाल निवासीगण नया अमोला तहसील करैरा, जिला- ~~ग्वालियर~~ "शिवपुरी" (म.प्र.)

.....पुर्नावलोकनकर्तागण/अनावेदकगण

बनाम

श्रीमती विद्यादेवी (मृत) पत्नि रामेश्वर ब्राह्मण द्वारा वारिसान :-

1. विनोद भार्गव पुत्र रामेश्वर भार्गव,
2. भूपेन्द्र भार्गव पुत्र रामेश्वर भार्गव

निवासीगण--न्यू कॉलोनी तहसील करैरा, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)

........रेस्पोन्डेन्ट्स/आवेदकगण

पुर्नावलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 24/08/2018 पारित द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर अन्तर्गत प्रकरण क्रं. 1208-3/2011 निगरानी (श्रीमती विद्यादेवी (फौत) द्वारा वारिसान बनाम रमेशचंद आदि), आदेश की प्रति संलग्न प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

पुर्नावलोकनकर्तागण की ओर से पुर्नअवलोकन याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत की रही है :-

1. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा पुर्नावलोकनकर्तागण विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी इस कारण वर्तमान याचिका के आगामी पद पुर्नावलोकनकर्तागण को अनावेदकगण एवं रेस्पोन्डेन्ट्स को आवेदकगण से सम्बोधित किया जायेगा।

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 5500/2018/शिवपुरी/भू0रा0

रमेशचन्द्र आदि विरूद्ध श्रीमती विद्यावेदी मृत वारिस

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–6–2019	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर दिनांक 19–06–2019 को प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदकगण ने राजस्व मण्डल, म0प्र0 के प्रकरण कमांक निगरानी 1208–तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 24–8–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अतर्गत यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेख का अवलोकन किया। पूर्व पीठसीन अधिकारी ने निगरानी में पारित आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 2002 में विकय से वर्जित विलोपित होने के पश्चात आवेदकगण ने अनावेदिका मृतक विद्यावेदी के पक्ष में दिनांक 7–7–05 को विकय पत्र संपादित कराया, जिसके पश्चात अनावेदकगण के पक्ष में दिनांक 9–5–08 को नामांतरण भी संपादित हो गया। आवेदकगण का यह तर्क है कि उक्त विकय पत्र फर्जी था। आवेदकगण द्वारा यह बतलाने में असमर्थ रहे कि उनके द्वारा लगभग 14 वर्ष तक उक्त विकय पत्र को शून्य घोषित कराने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई। विकय पत्र को शून्य घोषित करने की अधिकारिता व्यवहार न्यायालय को है। जबकि अनावेदिका मृतक विद्यादेवी ने विकय से वर्जित विलोपित देखकर प्रश्नाधीन	

20/6/19

भूमि कय की थी। तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि इस प्रकरण में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7ख) का उल्लघंन हुआ है। आवेदकगण द्वारा गलत तथ्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनावेदिका के पक्ष में हुये नामांतरण को निरस्त कराया है। अनावेदकगण अभिभाषक ने तर्क में बतलाया कि आवेदकगण द्वारा 17–1–2018 को प्रश्नाधीन भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को विकय कर दिया है। इसी कारण पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निगरानी प्रकरण में दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर वर्ष 2008 में अनावेदकों के पक्ष में नामांतरण को उचित पाया है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य या अभिलेख से प्रकट कोई भूल दर्शाने में असमर्थ रहे है जिससे मूल निगरानी में पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जा सके। फलस्वरूप यह पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर0 के0 जैन) 20/6/2019
सदस्य